



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2021—पौष 18, शक 1942

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 18 नवम्बर 2020

क्र. 2253-पंचा.प्रको.-जि.पं.-2020.—मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-16-5-2019-22-पं.-2, भोपाल, दिनांक 22 जून 2019 में दिये गये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन परिसीमन की कार्यवाही उपरांत मैं डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 126(1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला सिवनी अंतर्गत नीचे दी गई सारणी के संभं 4 में वर्णित ग्राम पंचायत के संभं 5 में सम्मिलित ग्राम को नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 100-एफ-1-08-2020-अठारह-3 भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2020 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों से विघटित कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

सारणी

स. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय निकाय में सम्मिलित क्षेत्र जो अब ग्रामीण क्षेत्र का भाग नहीं रहा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सिवनी	छपारा	छपारा	छपारा
2	सिवनी	छपारा	छपाराकला	छपाराकला, छपाराखुर्द, देवरीकला
3	सिवनी	छपारा	तिन्सा	तिन्सा, गहरानाला रैयत, पिण्डरई, चंदेनी, घोघरीमाल, जामुनपानी,
4	सिवनी	केवलारी	केवलारी	केवलारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	सिवनी	केवलारी	डोभ	डोभ, बम्हनीखेड़ा,
6	सिवनी	केवलारी	बोथिया	बोथिया, सिरोली
7	सिवनी	केवलारी	बिनेकी	बिनेकी, मरकावाड़ा, मलारी
8	सिवनी	केवलारी	मलारा	मलारा, घुड़सार
9	सिवनी	केवलारी	डोकररांजी	डोकररांजी, पनवास, कड़वेथावरी, कछारी
10	सिवनी	केवलारी	बगलई	बगलई, कोहका

राहुल हरिदास फटिंगा, कलेक्टर.